प्रेस विज्ञप्ति

30.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने अकोइजाम दीपा आनंद, नरेंगबम समरजीत सिंह, एलंगबम ब्रोजेंद्रो सिंह, नरेंगबम विश्वजीत सिंह, तोरंगबम टिकेंद्र सिंह, मेसर्स स्मार्ट सोसाइटी, सलाई मार्ट प्राइवेट लिमिटेड और सलाई एग्री कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 29.04.2024 को पीसी का संज्ञान ले लिया है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी),1860 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी नरेंगबाम समरजीत सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी; आईपीसी, 1860 और अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई, आर्थिक आपराध (ईओ)- I, दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने ऊंची ब्याज दरों का वादा करके जनता से अवैध रूप से जमा राशि एकत्र किया तथा तदोपर्यंत अपने व्यक्तिगत उपयोग और सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज में हित हासिल करने हेतु इस एकत्र किए गए अपराध की आय का उपयोग कर आम जनता को धोखा दिया है। अब तक 57.35 करोड़ रुपये की अपराध आय की पहचान की जा चुकी है।

इससे पहले ईडी ने सलाई मार्ट प्राइवेट लिमिटेड और सलाई एग्री कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मौजूद 2.52 करोड़ रुपये (बैंक खाते में क्रेडिट बैलेंस) की संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।